रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2003/ज्येष्ठ 29, 1925

No. 99] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2003/JYAISTHA 29, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 16 जून, 2003

सं. टीएएमपी/17/2003-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, धूलभरे कार्गो के ढेरों पर जल छिड़काव के लिए प्रशुल्क निर्धारण हेतु विशाखापट्णम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/17/2003-वीपीटी

विशाखापट्णम पत्तन न्यास (वीपीटी) --------------- **आवेदक**

आदेश

(जून, 2003 के 5वें दिन पारित)

यह प्रकरण धूलभरे कार्गो के ढेरों पर जल छिड़काव के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु विशाखापट्णम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1 वीपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही हैं :-

(i) यह मुख्य रूप से थोक कार्गो प्रहस्तन करने वाला पत्तन है और लगभग 85% शुष्क कार्गो धूलभरा होता है। अधिकतर वस्तुएँ अर्ध-यांत्रिक साधनों द्वारा प्रहस्तित की जाती हैं, जिसमें जलयानों से कार्गो उतारे जाते हैं और लारियों द्वारा ढेर वाले क्षेत्रों और ढेर वाले क्षेत्रों से जलयानों को भेज दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न स्थानों पर धूल पैदा होती है।

(ii) आईएसओ 14001 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, इसने प्रचालन क्षेत्रों में और उनके चारों ओर 2,30,000 नए पेड़ लगाना, ऐसे कार्गो का प्रहस्तन करने वाले व्यापार जगत की सहायता से मल व्ययन संयंत्र द्वारा साफ किया गया जल धूल भरे कार्गो पर छिड़कने के लिए उपयोग करना जैसे विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए हैं।

(iii) ऐसे धूलिपूर्ण कार्गो का प्रहस्तन करने वाले विभिन्न पत्तन उपयोगकर्ताओं से अपने-अपने धूल पैदा करने वाले स्थलों/स्थानों पर निरन्तर जल छिड़काव करने का अनुरोध किया गया था। विभिन्न पत्तन उपयोगकर्ता जल वाहक टैंक ट्रकों का प्रयोग कर ऐसा कर रहे थे। पत्तन उपयोगकर्ता का अपने मल व्ययन संयंत्र से पैदा होने वाले जल, पम्पों और निःशुल्क बिजली की आपूर्ति किया करता था। फिर भी, चूंकि यह पंम्पिंग ठेकेदार के माध्यम से की जाती है, तो इस कार्य के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रभार वीपीटी द्वारा तत्संबंधी पत्तन उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए थे।

(iv) इसने अब धूल दबाने हेतु अधिक परिष्कृत और उन्नत प्रणाली पाने के लिए 7.18 करोड़ रुपए की लागत मे अभियांत्रिक धूल दबाने वाली प्रणाली कार्यरत की है। यह प्रणाली, पश्चिमी अयस्क बर्थ ढेर क्षेत्रों, जी.सी.बी. ढेर क्षेत्रों और एस-4 हस्तान्तरक पट्टियों के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों जैसे ढेर क्षेत्रों को कवर करती है। इस प्रणाली में कुल १७२ छिड़काव यंत्र लगाए गए हैं।

(v) जैसाकि मै. मेकोन्स लिमिटेड को पांच वर्ष की अवधि के लिए 68.33 लाख रुपए में ठेका दिया गया है और अनुमानित बिजली प्रभार 51.23 लाख रुपए प्रतिवर्ष होंगे। इसकी एक वर्ष की प्रचालन और अनुरक्षण लागत 13.67 लाख रुपए आती है.। इस प्रकार, प्रत्यक्ष प्रचालन लागत 64.90 लाख रुपए प्रतिवर्ष (13.67 लाख रुपए + 51.23 लाख रुपए) पड़ती है।

(vi) इसने अब, कम से कम उपर्युक्त प्रणाली पर आने वाली प्रत्यक्ष प्रचालन लागत को वसूल करने का निर्णय लिया है। इसने यह भी बताया है कि अबतक विभिन्न उपयोगकर्ताओं को अपनी लागत पर अपने टैंक ट्रकों में जल का परिवहन कर विभिन्न अपेक्षित स्थलों पर ले जाना पड़ता है। इस नई अभियांत्रिक प्रणाली के आ जाने से, विभिन्न उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाली यह विशेष लागत कम हो जाती है।

(vii) कम से कम प्रत्यक्ष प्रचालन लागत वसूल करने की आवश्यकता के बारे में व्यापार-जगत को स्पष्ट किया गया था। इसने अभियांत्रिक छिड़काव प्रणाली के अधीन शामिल ढेर क्षेत्रों का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं से 80 पैसे प्रति मीट्रिक टन कार्गो की दर से जल छिड़काव प्रभार वसूली करने का निर्णय लिया है।

2.2 वीपीटी ने इस अभियांत्रिक छिड़काव प्रणाली के अधीन शामिल ढेर क्षेत्रों का उपयोग करने वाले सभी कार्गों/उपयोगकर्ताओं पर 1 मार्च, 003 से 80 पैसे प्रति टन प्रभार वसूल करने के लिए इस प्राधिकरण से अनुमोदन मांगा है।

3.1 निर्धारित परामर्श प्रक्रियानुसार, वीपीटी का यह प्रस्ताव संबंधित उपयोगकर्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था।

3.2 उपर्युक्त उपयोगकर्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों की प्रति वीपीटी को फीडबैक सूचना के रूप में भेजी गई थी।

3.3 इस मामले की संयुक्त सुनवाई 8 मई, 2003 को वीपीटी परिसर में हुई थी। इस संयुक्त सुनवाई में, वीपीटी और संबंधित उपयोगकर्ताओं ने अपने पक्ष प्रस्तुत किए।

3.4 इस संयुक्त सुनवाई में, वीपीटी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए सिद्धांत 'प्रदूषण फैलाने वालों द्वारा भुगतान' दर्शाने वाले दस्तावेज़ों की प्रतियाँ प्रस्तुत की है।

3.5 वीपीटी ने कुछ और लिखित निवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनका सार निम्नलिखित है :-

(i) इसने 29 जनवरी, 2003 को हुए विचार-विमर्श के दौरान उपयोगकर्ताओं के साथ हुए मतैक्य के अनुसार प्रस्तावित दर को 1 फरवरी, 2003 से लागू किया है।

(ii) इसने यह भी बताया है कि जब शारीरिक श्रम वाली छिड़काव प्रणाली प्रचलन में थी तब बिजली की खपत पर व्यय 1.87 लाख रुपए प्रतिवर्ष था।

3.6 तत्पश्चात, वीपीटी ने बताया है कि छिड़काव प्रणाली शुरू करने से लगभग 100 ट्रक प्रतिदिन की आवाजाही में कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप वाहनों से निकलने वाले धुएं के प्रदूषण में और ट्रकों की आवाजाही में कमी होने से उनके कारण उठने वाली धूल में कमी आई है।

4. इस प्रकरण में हुए परामर्श संबंधी प्रक्रियाएं इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों के अंश और संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए तर्क संगत पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट www.tariffauthority.org पर भी उपलब्ध हैं।

5. इस प्रकरण पर कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :-

(i) इस छिड़काव प्रणाली की शुरूआत विशाखापट्णम पत्तन में प्रहस्तन किए जाने वाले धूलभरे कार्गो से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए की गई है। प्रभावशाली, यह नई प्रणाली प्रभावी रूप से न केवल धूलभरे कार्गो से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेगी, अपितु वाहनों से पैदा होने वाले प्रदूषण को भी कम करेगी क्योंकि जल छिड़काव के लिए पहले उपयोग किए जा रहे ट्रक इस छिड़काव प्रणाली के शुरू होने के पश्चात बेकार हो जाएंगे। जैसाकि एसएआईएल ने सही उल्लेख किया है, पत्तन द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा की जानी चाहिए।

(ii) वीपीटी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत 'प्रदूषण फैलाने वालों द्वारा भुगतान' का उल्लेख किया है। किसी भी मामले में, उपयोगकर्ता पूर्व प्रणाली में जल छिड़काव के लिए निजी ठेकेदार को भुगतान कर रहे थे, जबकि अब उन्हें पत्तन को भुगतान करना होगा क्योंकि पत्तन यह सेवा प्रदान कर रहा है।

(iii) टीएनईबी ने इस आधार पर वीपीटी के प्रस्ताव पर आपत्ति की है कि इस पत्तन द्वारा संस्थापित छिड़काव प्रणाली सम्पूर्ण ढेर क्षेत्र को कवर नहीं करती। यह आपत्ति उचित नहीं है क्योंकि वीपीटी ने केवल उसी कार्गो परिमाण पर जल छिड़काव प्रभार वसूल करने का प्रस्ताव किया है जो छिड़काव प्रणाली द्वारा कवर किए गए ढेर क्षेत्रों का उपयोग करते हैं।

(iv) एसएआईएल और टीएनईबी ने मांग की है कि छिड़काव प्रणाली प्रदान करने और प्रचालित करने की लागत पत्तन द्वारा स्वयं वहन की जाए। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, संबंधित उपयोगकर्ता पहले ऐसी सेवाएँ निजी ठेकेदार को भुगतान कर प्राप्त कर रहे थे। इसके अलावा, वीपीटी ने अपनी ओर से ऐसे निवेश पर होने वाले प्रतिलाभ को छोड़ने का प्रस्ताव किया है। पत्तन ने यह संस्थापित छिड़काव प्रणाली संबंधी प्रत्यक्ष प्रचालन लागत वसूल करने की इच्छा व्यक्त की है। वीपीटी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता।

(v) वीपीटी ने बिजली लागत और 8 मी.ट. के अनुमानित यातायात सहित प्रचालन लागत पर विचार कर प्रस्तावित दर तय की है। यह उल्लेखनीय है कि पत्तन ने स्वीकार किया है कि उसने पूर्व प्रचालन प्रणाली में जल की पंम्पिंग के लिए निःशुल्क बिजली प्रदान की है। इस दावे को कि बिजली की आपूर्ति निःशुल्क की गई थी, इस सीमित अर्थ में देखा जाना चाहिए कि संबंधित उपयोगकर्ताओं को खर्च की गई बिजली की लागत का प्रत्यक्ष रूप में भुगतान नहीं करना पड़ता था। पिछले सामान्य संशोधन के समय वीपीटी के प्रशुल्क निर्धारित करते समय लागताधिक स्वीकार किया गया था। अतः यह मानना उचित होगा कि इस सुविधा के लिए बिजली आपूर्ति करने की लागत को भी समग्र व्यय में शामिल किया गया था और उपरिव्यय के रूप में लिया गया था, जिसका अर्थ है कि इसका बोझ वीपीटी की विभिन्न गतिविधियों के प्रभारों में बांट दिया गया।

चूंकि ऐसी स्थिति में ऐसी प्रशुल्क मदों से इस लागत को अलग करना मुश्किल है, इसलिए छिड़काव प्रणाली के प्रचालन के लिए केवल बिजली की वृद्धिशील लागत पर ही विचार करना उपयुक्त होगा। यदि बिजलीकी वृद्धिशील लागत पर विचार किया जाता है तो प्रत्यक्ष प्रचालन लागत वीपीटी द्वारा अनुमानित 64.90 लाख रुपए के स्थान पर 63.03 लाख रुपए होगी। प्रत्यक्ष प्रचालन लागत वसूल करने के लिए 8 मी.ट. यातायात आधार पर विचार करते हुए, जल छिड़काव की दर 78 पैसे प्रति टन आएगी। यह अपेक्षा करना निरर्थक नहीं होगा कि भविष्य में यातायात आधार बढ़ेगा। इस पहलू को स्वीकार करते हुए, जल छिड़काव प्रभार 75 पैसे प्रति टन निर्धारित किए जा सकते हैं। अब निर्धारित की गई दर की दरमान के अगले सामान्य संशोधन के समय समीक्षा की जा सकती है।

(vi) वीपीटी ने सूचित किया है कि उसने उपयोगकर्ताओं के साथ चर्चा करने के पश्चात 1 फरवरी, 2003 से प्रस्तावित दर लागू की है और इसीलिए उसने अपने प्रस्ताव को 1 फरवरी, 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदित करने का अनुरोध है। यह सही है कि वीपीटी द्वारा सृजित सुविधा 1 फरवरी, 2003 से उपयोग की जा रही है। ऐसी सुविधा का उपयोग करने के लिए वसूल किए गए प्रभारों को 1 फरवरी, 2003 से नियमित करने के लिए, विशेष प्रकरण के रूप में, वीपीटी में जल छिड़काव प्रभार 1 फरवरी, 2003 पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदित किए जाते हैं। वीपीटी ने 1 फरवरी, 2003 से 80 पैसे प्रति टन की प्रस्तावित दर पर तदर्थ प्रभार वसूल किए थे। चूंकि अंतिम अनुमोदित दर प्रस्तावित दर से कम है, इसलिए वीपीटी को अपने बिल पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजित करने और अब तक की गई अधिक वसूली को वापस करने की सलाह दी जाती है।

6. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण विशाखापट्णम पत्तन न्यास की अभियांत्रिक छिड़काव प्रणाली के अधीन शामिल ढेर क्षेत्र का उपयोग करने वाले सभी कार्गों/उपयोगकर्ताओं पर 75 पैसे प्रति टन जल छिड़काव प्रभार 1 फरवरी, 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदित करता है।

7. वीपीटी को अपने दरमान में इस उपबंध को उपयुक्त ढंग से शामिल करने का निदेश दिया जाता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/03-असाधारण]